वाई माधोपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 98/2017

1. कृष्णकुमार पुत्र लक्खी दत्तक पुत्र स्व0 कन्हैया आयु 62 साल जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर हाल निवासी पानी की टंकी के पास वर्धमान नगर हिण्डौन जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. बृजभान उम्र 70 साल
2. घनश्याम आयु 65 साल पुत्रान ईश्वरिया जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर, जिला करौली
3. राधेश्याम (मृतक)

3/1 बनवारीलाल शर्मा आयु 38 साल

3/2 हरिओम शर्मा आयु 35 साल

3/3 भरतलाल शर्मा आयु 33 साल

3/4 मोनू शर्मा आयु 30 साल

3/5 सुनील शर्मा आयु 28 साल

3/6 मनोज शर्मा आयु 24 साल पिसरान स्व राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर जिला करौली हाल निवासी बर्धमान नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली।

4 द्वारका (मृतक)

5 जगभान आयु 78 साल पुत्रान श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर जिला करौली

6 स्वरूप आयु 60 साल

7 रमेश आयु 55 साल पुत्रान वंशी जाति कहार निवासी सेवली तहसील मासलपुर जिला करौली

8 सब रजिस्ट्रार मासलपुर जिला करौली

9 तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली

रेस्पोटेंडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली मु0न0 106/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.17)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की ओर से श्री गोविन्द चौधरी
2. रेस्पोडेंटान की ओर से श्री दिनेश बंसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 28.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0न0 106/2016 निर्णय व डिकी दिनांक 29.9.2017 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 398 लगायत 445, 469 लगायत 473, 532,425/661, 469/662, 472/663 कुल किता 57 कुल रकवा 43 बीघा 3 विस्वा ग्राम बिरहटा तहसील मासलपुर पटवार हल्का खडूरी तहसील मासलपुर मे स्थित है। जिसका खाता वादीगण के ताउ लक्खी व चाचा कन्हैया व ताउ के लडका गिर्राज की खातेदारी मे दर्ज था। ये तीनो ही खातेदारान फौत हो चुके है। आराजीयात शुरू से वादीगण के पिता ईश्वरीलाल बांबा श्रीराम ताउ लक्खी काका कन्हैया संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का काका कन्हैया परिवार का कर्ता खानदान था वह ही पूरे परिवार का संचालक था वादीगण का पिता अनपढ था जो काका कन्हैया कहता था उसी के आदेश से सारा परिवार कार्य करता था। यह चारो भैरो के पुत्र थे। इसलिए खाता सम्पूर्ण आराजीयात का लक्खी , कन्हैया पिसरान भैरो व गिर्राज पुत्र श्रीराम के नाम गलती से दर्ज हो गया जिसकी जानकारी किसी को नही थी। कन्हैया लाऔलाद व अविवाहित फौत हो गया है उसके मरने के बाद उसकी जमीन के कानूनी वारिस वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 5 बराबर के हिस्सेदार सारी जमीन के है। विवादित जमीन के मृतक कन्हैया का फर्जी वारिस प्रतिवादी न0 1 बनकर उसका सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा पटवारी से साज करके अपने नाम करा लिया। जो गलत है। कानून के विपरीत है। क्योकि कृष्ण कुमार प्रतिवादी न0 1 लक्खी का पुत्र है, और उसका हिस्सा लक्खी की जमीन जायदाद के अन्दर आता है। प्रतिवादी न0 1 ने जालसाजी व फर्जकारी तरीके से मृतक कन्हैया का विरासत का नामा0 अपने नाम खुलवा लिया जो गलत है। जबकि कन्हैया की उक्त आराजीयात का खाता वादीगण के नाम होना चाहिए था। इसलिए वादीगण उक्त आराजी मे कृष्ण कुमार के नाम को हटा कर अपने नाम इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। दिनांक 19.12.01को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कन्हैया की खातेदारी की आराजी मे अपना नाम तहसील मे चल कर जुडवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और कहा कि इन आराजीयात को हम बैक मे रहन रखकर ट्रेक्टर उठायेगे और किसी दीगर व्यक्ति को वय करेगे तथा तुम्हारे नाम इस जमीन को नही करायेगे ना ही इस जमीन को तुम्हे काश्त करने देगे । प्रतिवादी न0 1 ता 9 ने वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी गई और कहा कि जमीन पर पैर रखा तो जान से खत्म कर देगे। वादीगण अकेले व्यक्ति है। प्रतिवादीगण की ताकत का मुकाबला करने मे असमर्थ है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार है। विवादित जमीन मे वादीगण कन्हैया के वारिस होने से 1/3 हिस्सा है। जिसे अपने नाम की घोषणा राजस्व रिकार्ड मे कराने के हकदार है। सम्पूर्ण जमीन मे से 1/3 हिस्सा वादीगण अपने नाम कराने एवं संयुक्त खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने के अधिकारी है। उसी अनुसार वादीगण द्वारा वाद पत्र डिकी कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाय जावे कि विवादित आराजीयात मे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की रूकावट ना डाले ना अन्य से डलवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो रिकार्ड व दस्तावेजो के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आविट्रेरी परवर्स केप्रियसली मनमाने तरीके से पारित कर विधिक भूल की है।विवादित भूमि रेस्पो0 1 व 2 के पिता की खातेदारी कब्जे काश्त मे कभी नही रही है। सेटलमेंट से ही विवादित भूमि खालसा होने पर तभी से उसे लक्खी पिता अपीलांट कन्हैया व गिर्राज पुत्र श्रीराम जोतते चले आ रहे थे। और उन्ही के नाम राजस्व रिकार्ड मे खाता चला आ रहा है। कन्हैया ने अपीलांट को बचपन मे ही गोद ले लिया था जिसकी लिखावट कन्हैया ने अपीलांट को रोवरू गवाहन कर दे दी जिस बाबत लख्खी, ईश्वरिया, गिर्राज प्रसाद ने प्रदर्श ए–1 मे कन्हैया को लिखकर दिया कि तीनो मे से अपनी हक को किसी को भी लिखेगे उसमे हम मन्जूर इसमे हम कोई उज्र नही करेगे तो राजपचो मे झूठे माने जावेगे लिखकर ईश्वरिया व गिर्राज ने अपने हस्ताक्षर व लक्खीराम ने अगूठा कर दिया इस लिखावट मे रेस्पो0 ईश्वरिया के पुत्र होने के कारण पाबन्द है और उनके पिता की स्वीकारोक्ति उन पर बाध्यकारी होते हुए 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को ना मानने मे अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। जबकि धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के तहत 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नही है। इसके सही होने बाबत कानूनन उपधारणा लेनी चाहिए थे जिसे नजर अंदाज कर निर्णय जैर अपील पारित करने मे त्रुटि की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या 1 को तय करते समय निर्णय मे उल्लेख किया है कि प्रदर्श ए–1 लिखावट सादा कागज पर है इस पर कन्हैया की निशानी नही है। किसी लेखक या गवाह का बयान भी न्यायालय पत्रावली पर नही कराया है। पारिवारिक मामला होने के कारण प्रदर्श ए–1 सादा कागज पर लिखा गया है। गवाहान के बाबत डी डब्लू 1 कृष्ण कुमार ने जिरह मे बताया है कि गवाहान मर चुके है ऐसी स्थिति [illegible] पेश कैसे कर सकता है उसने स्वयं कहा कि लिखावट मेरे सामने हुई है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने नही माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी न0 1 वादपत्र [illegible] के विपरीत विरचित की गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 अपीलांट की [illegible] से भेज कर काश्त करने वाले काश्तकार है। इसलिए मामला पुनः अभिवचन अनुसार कायम किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

करके गंभीर त्रुटि की है जबकि स्वयं वादी बृजभान ने स्वीकार किया है कि विवादित जमीन कन्हैया के मरने से पूर्व लक्खी ,कन्हैया, गिर्राज के नाम थी। सम्वत 2021 तक कन्हैया काश्त करता था उस समय ईश्वरिया (पिता वादी) का कोई लेना देना नही था। विवादित भूमि पर अपीलांट ने लोन उठाया व ट्रेक्टर भी लिया था। यह सही है कि कृष्ण कुमार लठ्ठ के बल पर इस जमीन को जोत रहा है। वादी का गवाह कल्याण सिह ने जिरह मे स्वीकार किया कि कन्हैया की सेवा लक्खी के लडका कृष्ण कुमार ने की थी कृष्ण कुमार को कन्हैया ने गोद लिया था। उस वक्त सब भाई राजी थे जब कन्हैया मरा तो सारे कियाकर्म कृष्णकुमार ने किये कन्हैया की जमीन को कृष्णकुमार ही करता चला आ रहा है। इसी प्रकार गवाह राजेन्द्र सिह ने जिरह मे कहा कि कन्हैया की जमीन कृष्णकुमार करता हो तो मुझे पता नही है। गवाह उम्मेद सिह जिरह मे बताता है कि अगर कृष्ण कुमार को गोद लिया हो तो मुझे पता नही है। कन्हैया की जमीन को कृष्णकुमार जोत वो रहा हो तो मुझे पता नही है। इस प्रकार रेस्पो0 की साक्ष्य से विवादित जमीन पर कब्जा काश्त अपीलांट होना प्रमाणित है। इसके वावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का निर्णय विधि के विपरीत वादी के हक मे पारित करके विधिक भूल की है। विधि का सुव्यवस्थित सिद्वान्त है कि कब्जे के अभाव मे कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे कर गंभीर त्रुटि की है। इसी प्रकार कब्जे के अभाव मे तनकी संख्या 2 का निर्णय रेस्पो0/वादी के पक्ष मे कर गंभीर त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण की जिरह पर भरोसा कर अपीलांट की साक्ष्य पर भरोसा नही कर गंभीर त्रुटि की है। विवादित भूमि पर सम्वत 2021 से कब्जा काश्त कन्हैया के हिस्से पर अपीलांट का चला आ रहा है । वादी/रेस्पो. का कब्जा काश्त कभी नही रहा है। दायरी दावे से अंदर 12 वर्ष कभी भी कोई कब्जा वादी/रेस्पो0 का साबित नही है इसलिए दावा मियाद बाहर होते हुए भी तनकी संख्या 3 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व पारित करने मे भूल की है। जबकि घोषणा के साथ साथ कब्जा पर भी गौर अधिनस्थ न्यायालय को करना चाहिए था। वादी का वाद कब्जा वापिसी के लिए अवधि वाधित है तो ऐसी घोषणा खातेदारी से कोई लाभ उसे प्राप्त नही होता है और डिग्री प्रभावी नही मानी जा सकती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को डिग्री पारित नही करनी चाहिए थी। अपीलांट को बचपन मे ही कन्हैया ने गोद लिया था इस कारण अपीलांट के पिता लक्खी की आराजीयात का खाता उसके मरने के बाद ग्राम पंचायत पिपरानी ने जरिये नामा0 संख्या 16 दिनांक 26.4.99 को विरासत [illegible] था जिसमे अपीलांट ने मजमे आम मे बताया कि वह अपने चाचा कन्हैया के गोद [illegible] है इसलिए पिता जी की जायदाद मे हिस्से जरूरत नही है। इस [illegible] नाम तस्दीक किया गया तथा नामा0 संख्या 35 दिनांक 26.5.76 को उत्तराधिकार का कन्हैया के स्थान पर पुत्र होने के आधार पर लक्खी पिता की मौजूदगी मे अपीलांट के नाम तस्दीक किया गया। जिसमे

अपील अधिकारी
...ई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Ramawat
Date: 2021.01.14 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सजरे मे अपीलांट को कन्हैया का पुत्र पटवारी ने दर्शाया है और आईएलआर ने तुलनां की है। जिसमे स्पष्ट अंकन किया कि तुलना की गई पंचानुसार है। जो सही भरे गये थे जिन्हे अपीलांट के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही कर सके अब ओ.41 रूल 27 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश किये जा रहे है। इस प्रकार अपीलांट कन्हैया का पुत्र होना दस्तावेजी सबूत से प्रमाणित है इनकी रोशनी मे निर्णय व डिग्री निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने डिक्री अभिवचनो के विपरीत पारित की है यदि वकील वादी कुछ समय हो उसके वाद को सही मान भी किया जावे तो कन्हैया का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण वादी के हक मे डिक्री काननून नही हो सकता है। क्योकि कन्हैया का हिस्सा लक्खी के वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 न0 3 श्रीराम के वारिसान रेस्पो0 संख्या 4 ता 6 तथा वादीगण तीनो मे बराबर बराबर निहित होता है क्योकि कन्हैया ,ईश्वरिया ,लक्खी ,श्रीराम तीनो का भाई था। तीनो की औलाद उसके हिस्से में समान हिस्सा रखती है। इसका विवाधक विरचित होना कानूनी जरूरी है। ऐसा नही करके सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो0 के हक मे करके विधिक गंभीर त्रुटी की है। इस कारण मामला पुनः अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। निर्णय मे अंकित प्रतिवादी संख्या 4 व 6 अर्सा करीब क्रमश 3 वर्ष व 7 वर्ष हो चुके है। मृत व्यक्तियो के विरूद्व पारित डिक्री शून्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि आराजी खसरा नम्बर 398 अराजियत 445, 469 लगायत 473, 532,425/661, 469/662, 472/663 कुल किता 57 कुल रकवा 43 बीघा 3 विस्वा ग्राम विरहटा तहसील मासलपुर पटवार हल्का खडूरी तहसील मासलपुर में स्थित है। जिसका खाता रेस्पो/वादीगण के ताउ लक्खी व चाचा कन्हैया व ताउ के लडका गिर्राज की खातेदारी मे दर्ज था। ये तीनो ही खातेदारान फौत हो चुके है। आराजीयात शुरू से ही रेस्पो/वादीगण के पिता ईश्वरिया बाबा श्रीराम ताउ लक्खी काका कन्हैया संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पो/वादीगण का काका कन्हैया परिवार का कर्ता खानदान था वह ही पुरे परिवार का संचालक था रेस्पो/वादीगण का पिता अनपढ था जो काका कन्हैया कहता था उसी के आदेश से सारा परिवार कार्य करता था। यह चारो भैरो के पुत्र थे। इसलिए खाता सम्पूर्ण आराजीया का लक्खी , कन्हैया पिसरान भैरो व गिर्राज पुत्र श्रीराम के नाम गलती से दर्ज हो गया जिसकी जानकारी किसी को नही थी। कन्हैया लाऔलाद [illegible] फौत हो गया है उसके मरने के बाद उसकी जमीन के कानूनी वारिस रेस्पो/[illegible] व प्रतिवादी न0 1 ता 5 बराबर के हिस्सेदार सारी जमीन के है। विवादित जमीन के मृतक कन्हैया का फर्जी वारिस प्रतिवादी न0 1 बनकर उसका सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा पटवारी से साज करके अपने नाम करा लिया। जो गलत है। कानून के विपरीत है। क्योकि कृष्ण कुमार प्रतिवादी न0 1 लक्खी का पुत्र है। और उसका हिस्सा लक्खी की जमीन जायदाद के अन्दर आता है।

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर
28-2-20

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी न0 1 ने जालसाजी व फर्जकारी तरीके से मृतक कन्हैया का विरासत का नामा0 अपने नाम खुलवा लिया जो गलत है। जबकि कन्हैया की उक्त आराजीयात का खाता रेस्पो/वादीगण के नाम होना चाहिए था। इसलिए वादीगण उक्त आराजी मे कृष्ण कुमार के नाम को हटा कर अपने नाम इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। अपीलांटान/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त गलत इन्द्राज की आड मे रेस्पो/वादीगण को हमारे कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेकर विवादक नियत कर पूर्ण विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधि अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलांटान की अपील खारिज फरमाई जावे। अपने तर्को के सर्मथन मे न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 332 एवं डी.एन.जे. (सुप्रीम कोर्ट) पेज 166 प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा दिनांक 18.5.04 को जबाब दावा पेश किया। इसके पश्चात दिनांक 23.1.06 को तनकीयात कायम की गई है। जो निम्न प्रकार है।

1. आया विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादी न0 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमे वादीगण का 1/3 हिस्सा है। वादीगण अपने हिस्से 1/3 की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया वादीगण विवादित भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है।

वादीगण

3. आया दावा वादीगण मियाद बाहर है।

प्रतिवादीगण

4. अनुतोष

8.2.20
व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

उपरोक्त तनकीयात 1 व 2 वाद पत्र के अनुसार है परन्तु जबाब दावे मे मुख्यतया जिन बिन्दुओ को उठाया गया है। उनके संबंध मे तनकीयात विरचित नही की गई है। इसके अलावा अपील मे बिन्दु उठाये है जिनमे आधार पर निम्न प्रकार अतिरिक्त तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक है।

1. आया मृतक कन्हैया लाऔलाद द्वारा [illegible] चौथ बुधवार सम्वत 2021 के द्वारा खातेदारी प्राप्त की गयी है जो विधिक रूप से [illegible] है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

2. आया मृतक कन्हैया का हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण मे त[illegible] बराबर हिस्सा रखते है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर इनको तय करना पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है। इसके बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निर्णय है। जो अपास्त योग्य है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0न0 106/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा एवं विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार विवेचन व विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के यहॉ दिनांक 30.3.2020 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28.2.20

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner